न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 99/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. बंशीलाल पुत्र राजाराम उर्फ राजुराम जाति नाई निवासी मणिहारी तहसील पाली		1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 20-9-18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 600/2015 बंशीलाल बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम मणिहारी तहसील पाली के खसरा नम्बर 713 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 590/2 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर681 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। इसमें से खसरा नम्बर 713 की भूमि अपीलाण्ट को आवंटन हुई थी। अपीलाण्ट को लाड प्यार से बस्तीमल पुकारते थे, इस कारण उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का नाम बस्तीमल अंकित हो गया है। इसके अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बरान् की भूमि में अपीलाण्ट का नाम वशिया पुत्र राजा कौम नाई दर्ज है। उक्त दोनो ही नाम अपीलाण्ट के ही है, जो लाड प्यार से पुकारने के नाम है। राजस्व रेकर्ड में अलग अलग नाम दर्ज होने के कारण अपीलाण्ट को काफि परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस कारण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त नामों के स्थान पर बंशीलाल पुत्र राजाराम उर्फ राजुराम की उद्घोषणा कराने का वाद प्रस्तुत किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाण्ट के तथ्यों को

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

नकारते हुए पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 590/2 एवं 681 में वशिया पुत्र राजा कौम नाई के स्थान पर बंशीलाल पुत्र राजाराम उर्फ राजूराम जाति नाई घोषित किया, किन्तु अपीलाण्ट को जो भूमि आवंटित हुई थी, उसकी जांच कर आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही करने के आदेश तहसीलदार पाली को दिये, जो विधि विरूद्ध है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा पृथक पृथक जमाबन्दीयों में अपीलाण्ट का नाम परिवर्तन किया है, जिसे दुरूस्त करवाने हेतु अपीलाण्ट द्वारा सद्भाविक रूप से वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से आवंटन निरस्त करने के आदेश पारित किए, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम मणिहारी में वशिया, बस्तीमल एवं बस्तीराम नाम से एक ही व्यक्ति है, जो स्वयं अपीलाण्ट है। इस तथ्य को अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बखूबी साबित किया है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप अपीलाण्ट को किए गए आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही करने के आदेश पारित किए, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय को आंशिक रूप से अपास्त कराते हुए माफिक अनुतोष आदेश पारित करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी भूमि में स्वयं का नाम दुरूस्त कराते हुए खातेदारी उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें पुश्तैनी भूमि एवं आवंटित भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त कराने का निवेदन किया। स्वयं अपीलाण्ट द्वारा गलत नाम के आधार पर भूमि आवंटन करवाई है, जो कपटपूर्वक करवाए जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुश्तैनी भूमि के राजस्व रेकर्ड में माफिक अनुतोष वाद डिक्री किया तथा कपटपूर्वक करवाए गए आवंटन को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही करने के तहसीलदार पाली को आदेश दिए है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का कानूनी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए जैर निर्णय के जरिये निस्तारण किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि ग्राम मणिहारी तहसील पाली के खसरा नम्बर 713 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि अपीलाण्ट को आवंटनसुदा आराजी है, जिसके राजस्व रेकर्ड मे अपीलाण्ट का नाम बस्तीमल पुत्र राजाराम कौम नाई सा0 देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 590/2 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 681 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा की भूमि अपीलाण्ट की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें अपीलाण्ट का नाम वसीया पुत्र राजा कौम नाई सा0 देह खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2043, 2044 से 2047 में उक्त आवंटित भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का नाम बस्तीराम पुत्र राजाराम दर्ज है, जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2048 से 2051, 2052 से 2055, 2056 से 2059, 2060 से 2063 में उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का नाम बस्तीमल पुत्र राजाराम कौम नाई सा0 देह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार सिलसिलेवार तहरीर हुए राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का नाम बस्तीराम, तो कभी बस्तीमल अंकित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अपना वास्तविक नाम बंशीलाल होने के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत किए, जिन्हे दृष्टिगत रखते

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हुए अपीलाण्ट का वास्तविक नाम बंशीलाल पुत्र राजाराम उर्फ राजूराम मानते हुए पुश्तैनी भूमि में अपीलाण्ट का नाम माफिक अनुतोष बंशीलाल पुत्र राजाराम उर्फ राजूराम दर्ज करने के आदेश पारित किए, किन्तु आवंटित भूमि की जांच कर आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही करने के निर्देश तहसीलदार पाली को दिए। उक्त निर्देश जारी करने का एकमात्र आधार आवंटन प्रार्थना पत्र के नाम में भिन्नता होना प्रकट होता है। प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, जो मात्र साक्षर है। नियमों एवं कानून की अनभिज्ञता होने के कारण आवंटन आवेदन पत्र पर मात्र अंगुष्ठ निशान लगाते हुए आवेदन किया है, जिसमें आवेदन पत्र में प्रविष्ठियां अंकित करते समय वस्ताराम पुत्र राजाराम नाई अंकित किया है एवं इसी अनुरूप आवंटन किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 948/1986 पतराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 31.08.1995 को पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि "The khatedari rights conferred upen the tenant can be withdrawn only in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act. 1955, and the Collector has no power under rult 14(4) of the Act to cancel the allotment made in favour of the petitioners eith respect to the land in which the khatedari right have already ben conferred upon them because after theconferment of the Khatedari right, the applicability of the rules come an end, The power under sub Rule (4) of Rule 14 of the Rules,1970 can be exercised by the Collector before conferment of the Khatedari rights and after the conferment of the khatedari rights.the petitioners acwuired all the rights for which they are entitled under the Rajasthan Tenancy Act and there after the provisions og Sub-rule (4) of rule 14 of the Rules, 190 has no application." आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1430 में माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि "विवादित आवंटन लगभग 40 वर्ष पुराना है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए.आई.आर. 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड (Travesty of Justice) है। यह मामला बहुत पुराना है एवं इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदार काश्तकार से अधिक भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में अपीलाण्ट का वास्तविक नाम बंशीलाल होना स्वीकार किया है, तो आवंटित भूमि में सद्भाविक त्रुटीवश एक ही व्यक्ति का नाम गल दर्ज हो जाने के कारण उसे उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए नाम संशोधन का आदेश पारित किया जाना ही समीचीन था। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय आंशिक रूप से समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 200/2015 बंशीलाल बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

01.06.2016 की शेष प्रविष्ठियों को बदस्तूर रखते हुए खसरा नम्बर 713 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम के सम्बन्ध में आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही हेतु तहसीलदार पाली को दिये गए आदेश की हद तक अपास्त किया जाता है तथा उपरोक्त Observation के आधार पर पुनः जांच कर शुद्धि की कार्यवाही हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली